



दिनांक 17.10.2026

प्रेस विज्ञापित 531 / 2026

## मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

### राष्ट्रीय एकता दिवस-2026 के उपलक्ष्य में 'Fight Against Drugs' अखिल भारतीय मोटरसाइकिल रैली को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ने पुलिस मुख्यालय से फ्लैग ऑफ कर रवाना किया

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की पावन स्मृति में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस-2026 के उपलक्ष्य में आज दिनांक **17 अक्टूबर 2026** को पुलिस मुख्यालय से अखिल भारतीय मोटरसाइकिल रैली को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्ण ने फ्लैग ऑफ कर रवाना** किया। **"Fight Against Drugs"** थीम पर आयोजित यह रैली नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता बढ़ाने तथा नशामुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प को सशक्त करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है।

इस अवसर पर **पुलिस महानिदेशक ने अपने सम्बोधन में कहा** कि सरदार वल्लभभाई पटेल के सशक्त एवं अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए युवा पीढ़ी का नशामुक्त होना आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित **'Fight Against Drugs'** अभियान नशे के विरुद्ध देश की सामूहिक इच्छाशक्ति का प्रतीक है। नशे के विरुद्ध यह लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस राष्ट्रीय अभियान में पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ सहभागिता कर रही है।

रैली का प्रमुख उद्देश्य **"Fight Against Drugs"** एवं **"SAY NO TO DRUGS"** का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं तक पहुँचाना है। यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम मार्ग में पड़ने वाले विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेगी। साथ ही, नशामुक्ति संबंधी सहायता के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय हेल्पलाइन **'MANAS' (14446)** का प्रचार-प्रसार करते हुए युवाओं एवं नागरिकों को नशामुक्त भारत के संकल्प से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

नशे के विरुद्ध जागरूकता के साथ-साथ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निरंतर कठोर कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2026 में अब तक प्रदेश में 4,197 अभियोग पंजीकृत कर 36,088 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं तथा 6,076 तस्करो को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, 'ऑपरेशन दहन' के अंतर्गत 1,72,246 किलोग्राम मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया, जिनका अनुमानित मूल्य लगभग ₹418 करोड़ है। **मादक पदार्थों के निस्तारण(विनष्टीकरण) में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।**

मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68(E) एवं 68(F) के अंतर्गत 96 प्रकरणों में लगभग ₹80.33 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई है। इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2026 में पीआईटी (PIT) एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 76 प्रकरणों में निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। प्रदेश में अब तक 26 कार्टेल ध्वस्त किए जा चुके हैं, जबकि 19 अंतरराज्यीय कार्टेल के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। इसके अतिरिक्त, पाँच गुप्त प्रयोगशालाओं को नष्ट किया गया है।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने अपने गठन के बाद से अब तक 504 अभियोग पंजीकृत कर 45,292 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए हैं तथा 1,364 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थों का अनुमानित मूल्य लगभग ₹554 करोड़ है।

रैली में उत्तर प्रदेश पुलिस के 05 जांबाज राइडर्स रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों पर सवार होकर प्रतिभाग कर रहे हैं। राइडर्स विशेष राइडिंग किट से सुसज्जित हैं। रैली के सुरक्षित, सुचारु एवं निर्बाध संचालन के लिए मोबाइल कमांड कंट्रोल रूम (MCCR) से युक्त स्टाफ मिनी बस, लॉजिस्टिक्स ट्रक तथा प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाओं से सुसज्जित एम्बुलेंस भी साथ चल रही है।

लखनऊ से प्रारंभ होकर यह रैली इटावा होते हुए आगरा पहुँचेगी। इसके बाद मथुरा एवं गौतमबुद्धनगर होते हुए दिल्ली में प्रवेश करेगी। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर आयोजित कार्यक्रमों की तैयारियों के उपरांत 21 अक्टूबर को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के साथ रैली आगे बढ़ेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रैली जयपुर, अजमेर, उदयपुर एवं गांधीनगर होते हुए 26 अक्टूबर को एकता नगर (केवड़िया), गुजरात पहुँचेगी। **31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी** पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के मुख्य समारोह एवं परेड में रैली के प्रतिभागी 'राइड पास्ट' सहित निर्धारित कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे।

पुलिस महानिदेशक ने रैली में शामिल राइडर्स एवं सहयोगी स्टाफ को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि वे अपनी अनुशासनबद्धता, सजगता और उत्साह के माध्यम से पूरे देश में उत्तर प्रदेश पुलिस की उत्कृष्ट छवि प्रस्तुत करें तथा मार्ग में आयोजित होने वाले नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए अधिकाधिक युवाओं एवं नागरिकों को इस अभियान से जोड़ें। उन्होंने मार्ग में पड़ने वाले जनपदों के पुलिस अधीक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों को रैली दल की सुरक्षा, सुगम एस्कॉर्ट और आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।









दिनांक 17.10.2026

प्रेस विज्ञापित 532 / 2026

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढ़ाना

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 30 लाख रुपये कीमत के 65 किलो 970 ग्राम अवैध गांजा
- घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद

दिनांक 16.10.2026 को थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खतौली-बुढ़ाना मार्ग, बसी गेट के पास से 02 अभियुक्तों 1-अभिषेक 2-प्रेम सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रुपये कीमत के 65 किलो 970 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अभिषेक निवासी हरथला थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद, हालपता ग्राम सुन्ना थाना कांधला जनपद बागपत।
- 2-प्रेम सिंह निवासी ग्राम कुचावली थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद।

## बरामदगी

- 1-लगभग 30 लाख रुपये कीमत के 65 किलो 970 ग्राम अवैध गांजा।
- 2-घटना में प्रयुक्त 01 कार।

जनपद संतकबीरनगर/थाना कोतवाली खलीलाबाद

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- 220 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
- नगद रुपये, 02 मोबाइल फोन
- 01 डीसीएम ट्रक आदि बरामद

दिनांक 17.10.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मगहर हाईवे, डीघा बाईपास के पास चेकिंग

के दौरान 02 अभियुक्तों 1—आकाश कुमार 2—अनुप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 220 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, नगद रुपये, 02 मोबाइल फोन, 01 डीसीएम ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—आकाश कुमार निवासी कसेरी मिलट रामनगर थाना गंगीरी जनपद अलीगढ़।

2—अनुप निवासी हारना टार थाना दरौली जनपद सिवान बिहार।

### बरामदगी

1—220 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—नगद रुपये, 02 मोबाइल फोन।

3—01 डीसीएम ट्रक आदि।

### ➤ जनपद सम्मल/थाना बहजोई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को क्रमशः आजीवन व 05 वर्ष के कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद सम्मल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्मल द्वारा थाना बहजोई पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—सूरज को धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 01 लाख 15 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता को धारा 363/366 भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

### ➤ कमिश्नरेट आगरा/थाना फतेहाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना फतेहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जैनुद्दीन को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 75 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/364 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अरुण को आजीवन कारावास व 75 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को क्रमशः आजीवन व 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना छतारी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—त्रिभुवन प्रताप को धारा 103(1) व 238क सपठित धारा 3(5) बीएनएस के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2—मोनिन्दर कुमार को धारा 238क सपठित धारा 3(5) बीएनएस के अन्तर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद पीलीभीत/थाना न्यूरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद पीलीभीत द्वारा थाना न्यूरिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 65(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कल्लू उर्फ वीरपाल को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद हाथरस/थाना सादाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 17 हजार 500 रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना सादाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/323/324 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त चौहान सिंह को आजीवन कारावास व 17 हजार 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद कुशीनगर/थाना को0 हाटा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना को0 हाटा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुलेमान अली को 20 वर्ष के कारावास व 01 लाख 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

-----